

23/04/2024 पत्रावली पेश हुई। वकील आर्ची उप.।

विधायिका के नोटिस रिजिमेंटल अलेक्जेंडर
Report सहित वकील सुदा आफ जिये शामिल
पत्रावली किया जा रहा है। विधायिका के नोटिस
वकील सुदा आफ जिये के बावजूद भी गेट्टे उप.
नहीं हुआ मरः उनसे विरुद्ध एडवोकेट अर्चना
अमल में लड़ि जाती है। वकील आर्ची की
बखल चुनी गइ। बखल पर मनन ठिया। पत्रावली
डा अध्ययन अवलोकन ठिया गया जिले जली
दोहा है। आर्ची डा अर्चना पर स्वीकार करने
योग्य है। अरः नेश्वमबंदी निर्णय अलग से
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जा रहा है।
पत्रावली फ्रेंसल सुमार लेटर दारिल दफल है।

वकील आर्ची उप.।
विधायिका के नोटिस रिजिमेंटल अलेक्जेंडर
Report सहित वकील सुदा आफ जिये शामिल

विधायिका के नोटिस रिजिमेंटल अलेक्जेंडर
Report सहित वकील सुदा आफ जिये शामिल
पत्रावली किया जा रहा है। विधायिका के नोटिस
वकील सुदा आफ जिये के बावजूद भी गेट्टे उप.
नहीं हुआ मरः उनसे विरुद्ध एडवोकेट अर्चना
अमल में लड़ि जाती है। वकील आर्ची की
बखल चुनी गइ। बखल पर मनन ठिया। पत्रावली
डा अध्ययन अवलोकन ठिया गया जिले जली
दोहा है। आर्ची डा अर्चना पर स्वीकार करने
योग्य है। अरः नेश्वमबंदी निर्णय अलग से
लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जा रहा है।
पत्रावली फ्रेंसल सुमार लेटर दारिल दफल है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 70/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

जीयादेवी बनाम अचला वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री विरेन्द्रसिंह भाटी (आर.ए.एस)

प्रार्थी वकील - श्री दोष मोहम्मद

निर्णय

दिनांक - 23/04/24

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बावरवाला भूअ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा दासोरिया के खेत खसरा संख्या 286/153 रकबा 0.8094 हैक्ट, किस्म बा.सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काशत प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बावरवाला भूअ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा दासोरिया के खेत खसरा संख्या 286/153 रकबा 0.8094 हैक्ट, किस्म बा.सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करें व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करें व नेखमबन्दी करवावे। रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/04/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।



(विरेन्द्रसिंह भाटी, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी 1. जीयादेवी पत्नि सोमाराम जाति कोली, निवासी दासोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण 1. अचला पुत्र वीहा 2. सतु पत्नि वीहा 3. चनाराम पुत्र उदा 4. तेजाराम पुत्र उदा 5. पुनमाराम पुत्र उदा 6. भूराराम पुत्र उदा 7. हरियोदेवी पत्नि उदा 8. जिबु पत्नि तमाची जाति कोली, निवासी दासोरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 9. नेनूदेवी पत्नि मघाराम 10. पेम्पोदेवी पत्नि मालाराम जाति सुथार, निवासी नवापुरा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</p>
--	--------------------	---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 70/2024 दिनांक : 23/04/24

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बावरवाला भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा दासोरिया के खेत खसरा संख्या 286/153 रकबा 0.8094 हैक्ट, किस्म बा. सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/मू.अ./2023/183-86

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी जीयादेवी पत्नि सोमाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण अचलाराम पुत्र वीहा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

(विश्वेन्द्रसिंह भाटी, RAS)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा
दिनांक 24/04/24

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा